

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंत भवन, द्वितीय तल, पटना-1

अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय भंडार में उपलब्ध एवं कार्यालय के बरामदे/गलियारे आदि यत्र-तत्र स्थानों पर रखे हुये अनुपयोगी/अतिरेक विविध सामग्रियाँ/स्कैप/टूटे-फूटे फर्नीचर, यू0पी0एस0, प्रिंटर, कम्प्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, वातानुकूलित, पुराने वाटर कूलर, लकड़ी के सामान आदि को रद्द अथवा बेकार घोषित करने एवं उनके नियमानुसार निष्प्रयोजन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक **25.08.2022 के अप0 05.00 बजे तक** निर्धारित शर्तों के अधीन मुहरबंद लिफाफा में अपना दर सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800001 में डाक/कुरियर/हाथों हाथ के माध्यम से भेज सकते हैं।

क्र0सं0	सामग्रियों का नाम	अदद	सुरक्षित राशि	अग्रधन की राशि
1	पुराना यू0पी0एस0 (कम्प्यूटर)	10 अदद	300 रुपये प्रति अदद।	₹3,000/- (तीन हजार रुपये)। जो सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रुप में देय होगा
2	पुराना प्रिंटर	02 अदद	1000 रुपये प्रति अदद।	
3	कम्प्यूटर (सी0पी0यू0/मॉनिटर) (विभिन्न कम्पनियों का)	06 अदद	700 रुपये प्रति अदद।	
4	लैपटॉप (विभिन्न कम्पनियों का)	07 अदद	1500 रुपये प्रति अदद।	
5	पुराना ए0सी0 (इनर यूनिट)	03 अदद	850 रुपये प्रति अदद।	
6	पुराना ए0सी0 (आउटर यूनिट)	04 अदद	1100 रुपये प्रति अदद।	
7	पुराना वाटर कूलर	02 अदद	650 रुपये प्रति अदद।	
8	पुराना आर0ओ0 मशीन	01 अदद	550 रुपये प्रति अदद।	
9	पुराना चेयर	07 अदद	70 रुपये प्रति अदद।	
10	लोहे के पुराने फ़ेम एवं स्कैप	वजन के अनुसार	14 रुपये प्रति किलोग्राम।	
11	लोहे का पुराना सिंक	02 अदद	14 रुपये प्रति किलोग्राम।	
12	लकड़ी का टूटा हुआ वार्डरोब	01 अदद	05 रुपये प्रति किलोग्राम।	
13	पुराना बेसीन	01 अदद	100 रुपये प्रति अदद।	

नियम एवं शर्तें:-

- वस्तुओं का निष्प्रयोजन "बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005" के नियम 143 के तहत निविदा विज्ञप्ति के माध्यम से किया जायेगा और अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/एजेंसी का चयन किया जायेगा।
- इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी द्वारा पेपर में प्रकाशन की तिथि से तीन अनुवर्ती कार्यदिवसों के कार्यावधि में रद्द वस्तुओं का अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकनोपरांत इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की बिक्री के एवज में दी जाने वाली राशि/दर का आकलन कर अपना दर (जो सुरक्षित राशि से कम नहीं होनी चाहिए) कोट करते हुए सीलबंद लिफाफा में कार्यालय को समर्पित करेंगे। अधिकतम दर अंकित करने वाले को बिक्री विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश निर्गत के दो दिनों के अन्दर चयनित व्यक्ति/एजेंसी को इन वस्तुओं को अपने स्वयं के व्यय पर कार्यालय से ले जाना होगा।

3. प्राप्त निविदा समिति द्वारा निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 26.08.2022 अप० 03:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में खोली जायेगी।
4. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
5. निविदा प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर भी देखी जा सकती है।

(मीनेन्द्र कुमार)

सचिव

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।